

प्रेषक,

आकाश तोमर
सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, भेरठ मण्डल भेरठ।
सेवा में

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2, समूदाय केन्द्र
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा (NOC) अनुमान

भेरठ दिनांक : 27-06-2013

विषय ~ सुरेन्द्र इण्टरनेशनल स्कूल, निकाड़ी, तहसील, मोदीनगर, गाजियाबाद को
सीठबीठेस०इ०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।
महोदय,

लपर्युक्त विषयक आसननादेश सख्त्य-1916/15-7-9(299)/2007 दिनांक 14-07-2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 26-06-2013 में लिये गये निर्णय तथा मण्डलीय अध्यालय के अनुमोदन दिनांक 27-06-2013 के अनुपालन में सम्मिलित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (1) विद्यालय की पजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक/माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/वेशिक शिक्षा परिषद द्वारा संवालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) सस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से आन्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली/कौशल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इकायामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की शिक्षा से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतं समाप्त हो जायेगे।
- (5) संस्था के शोहिक एवं विकासकार कर्मचारियों को सज्जकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वैतनमानों तथा अन्य भल्तों से कम वैतनमान तथा अन्य भल्तों नहीं दिये जायेंगे।
- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असासकीय माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य संयोगिता का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

- (7) राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संख्या उनका पालन करेगी।
- (8) विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- (9) उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा-105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमत्य शुल्क मुक्त संख्या के छात्रों को प्रदान की जायेगी।
- (10) उक्त शर्तों में राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2—विद्यालय द्वारा छात्रों से कॉशनमनी (सिक्योरिटी), भवन शुल्क (मिनीनेन्स), प्रवेश शुल्क, डोनेशन, मेनेजमेंट शुल्क, विकास शुल्क भद्रों में शुल्क नहीं लिया जायेगा।

3—उक्त प्रतिवर्धनों का पालन करना संख्या के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संख्या द्वारा उक्त प्रतिवर्धनों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार/मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(जिला तोमर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पृष्ठांकन संख्या— 3470/म०स० (123)/2013 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) संयुक्त सचिव (शिक्षा-7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- (2) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (3) जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद।
- (4) प्रबन्धक, सुरेविन इंटरनेशनल स्कूल, निवाड़ी, तहसील, मोदीनगर, गाजियाबाद।

(आशा तोमर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

Sarita

Dr. Sarita Sindhu
Principal
Surevin International
School Niwari Modinagar
Affiliation No-2131752

Tushar Gupta
(TUSHAR GUPTA)
Manager
Surevin International School
Niwari.(Modinagar NCR)